



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 2, 1941

No. 396]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 2, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

मामला सं. ओ आई - 24/2019

भारत में चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1- फिनायल- 3 - मिथाइल-5- पाइराजोलोन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/32/2019-डीजीटीआर.—1. जबकि, समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) के अनुसरण में मै० प्राइमा कैमिकल्स (जिसे यहां "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1-फिनायल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पाइराजोलोन" भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग के लिए सामग्री की चोट विषय देश से डंप किए गए आयात के कारण हो रही है और इस विषय से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। देश।

प्रष्ठभूमि

3. विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल जांच प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। अधिसूचना दिनांक No.14 / 11/2004- डीजीएडी ने दिनांक 01 दिसंबर, 2004 को प्रारंभ किया था। प्राधिकरण ने अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 14 को रद्द कर दिया। 14 / 11/2004-डीजीएडी ने 16 नवंबर, 2005 को विषय वस्तु के आयात के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की या विषय देश से निर्यात किया। नतीजतन, केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 01 / 2006- सीमा शुल्क दिनांक 10 जनवरी, 2006 को निश्चित पाटनरोधी शुल्कलगाई गई थी।

4. एक सूर्यास्त समीक्षा (एसएसआर) की जांच प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। सूचना अधिसूचना नंबर 15 / 5 / 2010-डीजीएडी दिनांक 01 जुलाई, 2010 को जारी किया गया था। तत्पश्चात, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना नंबर 15/5/2010-डीजीएडी की अंतिम खोज अधिसूचना 29 जून, 2011 को जारी की गई, विषय वस्तु के आयात पर निश्चित पाटनरोधी कर्तव्यों के विस्तार की सिफारिश की गई, जो विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किया गया था। नतीजतन, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 80 / 2011- सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 24 अगस्त, 2011 द्वारा निश्चित पाटनरोधी कर्तव्यों का विस्तार किया गया।

5. दूसरी सूर्यास्त की समीक्षा (एसएसआर) की जांच प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। अधिसूचना 15/3/2016-DGAD की दिनांक 11 अगस्त, 2016 को शुरू की गई। इसके बाद, प्राधिकरण द्वारा अंतिम खोज अधिसूचना जारी की गई। 15/3/2016-डीजीएडी ने 09 अगस्त, 2017 को विषय वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की, जो विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किया गया था। पाटनरोधी शुल्क तदनुसार 23 अगस्त, 2017 को समाप्त हो गई।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि विषय वस्तु, जिसे भारत में डंप किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान के समान है। डंप किए गए आयातों और तकनीकी रूप से उत्पादित विषय वस्तु और उत्पाद पर आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम-उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापित करने योग्य हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को। समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है, जो विषय देशों से आयात किए जा रहे सामानों के लिए है।

घरेलू उद्योग

7. आवेदन मै० प्राइमा कैमिकल्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो विषय वस्तु को देश से आयात किया है और न ही संबंधित देश में किसी विषय के निर्यातक या निर्माता या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि नियमों के नियम 2 (बी) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में 'घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा की ओर से' आवेदन किया गया है।

कथित डंपिंग का आधार

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया से निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्मित सामान्य मूल्य के अलावा अन्य विकल्प संभव नहीं हैं क्योंकि पूरे आयात चीन के हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर भली-भांति समायोजित एवं बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों के लिए परिवर्धनों के बाद निर्धारित किया गया है।

9. प्राधिकरण ने डी-जी-सी-आई-एंड-एस के सौदावार आंकड़ों के अनुसार, संबद्ध देश से निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री माल भाड़ा, पत्त व्ययों, बैंक प्रभारों और वैट के लिए समायोजन किया गया है।

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में उल्लेखनीय पाटन मार्जिन को दर्शाता है जो तदनुसार, प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में भारत में उत्पादन और खपत एवं घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती, कीमत ह्रास प्रभाव के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि इसके उत्पादन ने घरेलू उद्योग के लिए विक्रय कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत के परिणामस्वरूप उत्पादन, विक्रय और लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और नकदी प्रवाह पर विपरीत प्रभाव डाला है। एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

12. और इसलिए, घरेलू उद्योग की ओर से या लिखित रूप से विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, विषय वस्तु के डंपिंग की पुष्टि या निर्यात होने वाली विषय देश से, घरेलू उद्योग को चोट और ऐसे कथित डंपिंग और चोट के बीच कारण लिंक, और अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार नियमों के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकरण अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए एक जांच शुरू करता है। विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं के संबंध में किसी भी कथित डंपिंग की डिग्री और प्रभाव और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की चोट को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

विचाराधीन उत्पाद

13. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद '1- फिनायल-3- मिथाइल -5- पाइराजोलोन है और जिसे यहां पाइराजोलोन भी कहा गया है।

14. संबद्ध वस्तु एक डार्क मध्यवर्ती के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका एनलजिन के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल्स में भी प्रयोग किया जाता है।

15. इसका वर्गीकरण उप शीर्षक 2933 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

शामिल देश

16. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

17. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (जिसे यहां "पी-ओ-आई" भी कहा गया है) 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 (15 माह) है। क्षति जांच अवधि अप्रैल 2015-मार्च 2016, अप्रैल 2016- मार्च 2017, अप्रैल 2017- मार्च 2018 और पी-ओ-आई रहेगी।

प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमों के अंतर-नियम 6 में दिए गए जांच के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों और संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक् रूप से सूचित किया जा रहा है।

20. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। यह सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

21. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकरण तक पहुंच सके। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए सूचना देने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह प्राप्त किया गया होगा जिस दिन यह नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकरण पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है।

23. सभी इच्छुक पक्षों को तात्कालिक मामले में अपनी रुचि (ब्याज की प्रकृति सहित) अंतरंग करने की सलाह दी जाती है और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं को दर्ज करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (जिसमें उससे संबंधित परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हो) से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में दो अलग-अलग क्षेत्रों में उसे प्रस्तुत करें जब उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया हो।

(i) एक सैट पर गोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) तथा

(ii) दूसरे सैट पर अगोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित)।

25. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंकित किए गए बिना प्राप्त किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रत्येक के 4 (चार) सैट में हार्ड कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

26. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा अन्य सूचना जो इस प्रकार की सूचना देने वाले के द्वारा गोपनीय के रूप में दावा की गई हो। सूचना के लिए जिसके संबंध में दावा गोपनीय के रूप में किया जाता है, अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया हो, सूचना देने वाले से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ इसके संबंध में भी सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

27. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति हो और अधिमानतः इसे अनुक्रमित किया गया हो अथवा कवर किया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेकिन यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश विस्तृत व्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।

28. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

29. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के संबंध में सही कारण का उल्लेख किए बिना किये गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

30. संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाले सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

32. यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2019

Case No. OI - 24/2019

Initiation of Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of 1-Phenyl-3- Methyl-5-Pyrazolone originating in or exported from China PR.

F. No. . 6/32/2019-DGTR.—1. Whereas M/s Prima Chemicals (hereinafter also referred to as “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of of “1-Phenyl-3- Methyl-5-

Pyrazolone” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC” or “Pyrazolone”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. An original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide initiation notification No.14/11/2004-DGAD dated 01st December, 2004. The Authority vide its final findings No. 14/11/2004-DGAD dated 16th November, 2005 recommended imposition of anti-dumping duty against the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. Consequently, the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No.01/2006- Customs (ADD) dated 10th January, 2006.

4. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority vide initiation notification No.15/5/2010-DGAD dated 01st July, 2010. Thereafter, Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No.15/5/2010-DGAD dated 29th June, 2011 recommending the extension of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. Consequently, the definitive anti-dumping duties were extended by the Central Government vide Notification No. 80/2011- Customs (ADD) dated 24th August, 2011.

5. A second Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority vide initiation notification No.15/3/2016-DGAD dated 11th August, 2016. Thereafter, Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No.15/3/2016-DGAD dated 09th August, 2017 recommending discontinuation of anti-dumping duty, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. The anti-dumping duty accordingly expired on 23rd August, 2017.

Like Article

6. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the AD Rules. Therefore, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry

7. The Application has been filed by M/s Prima Chemicals. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of Alleged Dumping

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has requested to determine normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The Authority, after evaluating the options under Para 7 of Annexure I of the Rules, has prima facie concluded that the options other than Constructed Normal Value are not feasible for determination of Normal Value in this case since entire imports are from China. Accordingly, the Authority has determined Normal Value on the basis of cost of production in India, duly adjusted, and after additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

9. The Authority has computed the export price from subject country as per DGCI&S transaction wise data. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, port expenses, bank charges and VAT.

10. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country, thereby, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal link

11. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of subject goods at a price below selling price and non-injurious price for

the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

12. And therefore, on the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Product under consideration

13. The product under consideration in the present investigation is 1-Phenyl-3-Methyl-Pyrazolone and has also been referred as Pyrazolone.

14. The subject goods are used as a dye intermediate. It is also used in pharmaceuticals for production of Analgin.

15. The subject goods are classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2933. However, the custom classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

Subject Country

16. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation

17. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) in the present investigation is 01st April, 2018 to 30th June, 2019 (15 months). The injury investigation period will cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

19. The known exporters in the subject country and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

**The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001**

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated

Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

25. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

31. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority